<table>
<tr>
<td>तारीख हुक्म</td>
<td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

सोहन लाल जाखड़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (तहसीलदार जोधपुर)

सू.अ.अपील संख्या–ऑनलाईन अपील संख्या 353918742734655</td>
<td>नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td>
</tr>
<tr>
<td>09/06/26</td>
<td>अपीलार्थी सोहन लाल जाखड़ निवासी जाखड़ो की ढ़ाणी नारवा, जोधपुर ने लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को दिनांक 13.04.2026 सूचना अधिकारी के तहत एक प्रार्थना पत्र उनकी ईमेल आईडी– sohanlaljakhar860@gmail.com के माध्यम से दिनांक 13.04.2026 को तहसीलदार जोधपुर की ईमेल आईडी tdrjo-jod-rj@nic.in पर एक पत्र प्रेषित किया जिसका विषय– "Final Warning – Non-action in Case No. 2025/220 under Section 177 (Rajasthan Tenancy Act) – Illegal Land Use & Administrative Laps" है उक्त प्रकरण संख्या 2025/220, जो कि धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विचाराधीन है, में अब तक की गई कार्यवाही से संबंधित जानकारी के संबंध में सूचना व अन्य विविध सूचना के लिए प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील में रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेस्पो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, जोधपुर</td>
<td></td>
</tr>
</table>

RajKaj Ref No.:
22737989
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Alok Ranjan
Designation: Collector and District Magistrate
Date: 2026.06.09 12:23:37 IST
Reason: Approved